ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-II,
ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः अर्बन सर्विस/2013/945 दिनांक/7/6 /2013

कार्यालय-आदेश

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 03/06/2013 के क्रम में प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये गये सामुदायिक भवन (Community Centre) एवं खुले क्षेत्रों की बुकिंग हेतु नयी दरें एवं शर्ते निम्नुसार निर्धारित की जाती है।

क्र0 सं0	विवरण	कम्यूनिटी सेन्टर	बुकिंग दर
1.	24 घंटे हेतु	सेक्टर– बीटा-II, बीटा-I, डेल्टा-I, डेल्टा-II, अल्फा-I, अल्फा-II, पी-3, गामा-I गामा-II एवं सिग्मा–II	रू0 18,000.00+ सर्विस टैक्स
2.	12 घंटे हेतु	सेक्टर– बीटा-II, बीटा-I, डेल्टा-I, डेल्टा-II, अल्फा-I, अल्फा-II, पी-3, गामा-I गामा-II एवं सिग्मा–II	रू0 12,000.00+ सर्विस टैक्स
3.	08 घंटे हेतु	सेक्टर– बीटा-II, बीटा-I, डेल्टा-I, डेल्टा-II, अल्फा-I, अल्फा-II, पी-3, गामा-I गामा-II एवं सिग्मा–II	रू0 7,000.00 + सर्विस टैक्स

उपरोक्त हेतु Check in समय प्रातः 10.00 बजे से मान्य होगा।

सामुदायिक भवन (Community Centre) की बुकिंग निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जाएगा।

1. उपरोक्त दरों के अतिरिक्त Security राशि रू0 10,000/- अलग से जमा की जानी होगी जो समारोह के 15 दिन उपरान्त Damage (यदि कोई हो) इत्यादि की रिकवरी उपरान्त 15 दिन के बाद सम्बन्धित वर्क सर्किल के अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरान्त Refund की जायेगी।

2. बुकिंग धनराशि व धरोहर राशि सहित समस्त धनराशि अग्रिम जमा की जायेगी।

3. प्राधिकरण स्टाफ हेतु देय चार्जिज निम्नानुसार प्रस्तावित हैः-

   - क्लास-1 व 2 के अधिकारियों हेतु रू0 5,100/- प्रति समारोह + सर्विस टैक्स।
   - क्लास-3 के अधिकारियों हेतु रू0 2,100/- प्रति समारोह + सर्विस टैक्स।
   - क्लास-4 के कर्मचारियों हेतु रू0 1,100/- प्रति समारोह + सर्विस टैक्स।
   - प्राधिकरण स्टाफ के लिए सिक्योरिटी राशि 5000/- होगी।

4. धार्मिक कार्यों हेतु उपरोक्त दरों पर 40 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। सामुदायिक भवन में टूट फूट के दृष्टिगत आवेदक को रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर क्षति पूर्ति बांड (Indemnity Bond) देना होगा।

5. 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 02 अक्टुबर आदि राष्ट्रीय पर्वो के कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक भवन निःशुल्क बुक किया जाएगा, जो कि पहले आओ पहले पाओ के नियम पर आधारित होगा तथा सामुदायिक भवन के दोनो तलों को पृथक पृथक दो आवेदको को दिया जा सकेगा। एक संस्था के लिए केवल एक तल ही बुक किया जाएगा। सामुदायिक भवन पर टूट फूट के दृष्टिगत आवेदक को रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर क्षति पूर्ति बांड (Indemnity Bond) देना होगा।

6. पंजीकृत सामाजिक समीतियों/संस्थाओ को सामाजिक कार्य जैसे रक्त दान शिविर, स्वास्थ्य शिविर एवं महिला सशक्तिकरण संस्थाओं आदि के लिए सामुदायिक भवन का एक तल अथवा एक तल का आंशिक भाग वर्तमान प्रचलित दरों के 10 प्रतिशत दरों पर बुक किये जाएगें एवं सामुदायिक भवन में टूट फूट के दृष्टिगत आवेदक

को रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर क्षति पूर्ति बांड (Indemnity Bond) देना होगा। Security धनराशि जमा कराना अनिवार्य नहीं होगा।

7. रस्म पगड़ी/शोक सभा/तेरहवी/उठावनी का बुकिंग चार्ज 2000/- + सर्विस टैक्स 08 घण्टे हेतु निर्धारित किया जाता है। सामुदायिक भवन पर टूट फूट के दृष्टिगत आवेदक को रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर क्षति पूर्ति बांड (Indemnity Bond) देना होगा। Security धनराशि जमा कराना अनिवार्य नहीं होगा।

8. निर्मित कम्यूनिटी सेन्टर के अतिरिक्त सेक्टर में पार्कों को छोड़कर अन्य उपलब्ध खाली स्थानों पर समारोह करने हेतु रू0 2,500/- + सर्विस टैक्स प्रति 24 घंटे के अनुसार देय होगी इसके लिए कोई सिक्योरिटी राशि देय नहीं होगी।

9. आवंटन उपरान्त कार्यक्रम की सूचना आवंटी को अपने स्तर से अग्निशमन विभाग व सम्बन्धित थाने को दी जानी होगी ।

10. प्राधिकरण द्वारा बुकिगं स्थान/परिसर के अतिरिक्त कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ।

11. आवंटी को वांछित पानी, विद्युत, डेकोरेशन इत्यादि सुविधाओं की स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।

12. 08 घंटे वाली बुकिंग केवल जन्मदिन, शादी सालगिरह, गोदभराई आदि हेतु ही की जायेगी ।

13. किसी आवेदक द्वारा एक बार बुकिंग कराने के पश्चात उसे निरस्त कराने का अनुरोध किया जाता है, तो चार्जिज का 25 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा तथा सिक्योरिटी एवं शेष 75% धनराशि वापिस कर दी जायेगी।

14. जिस सेक्टर में कम्युनिटी सेन्टर स्थित है उस सेक्टर के निवासियों से कार्यक्रम की तिथि से 90 दिन एवं अन्य सेक्टरों के निवासियों को 60 दिन से पूर्व बुकिंग हेतु आवंटन पत्र जारी नहीं किये जायेंगे ।

15. आवंटी द्वारा भवन पर कोई कील इत्यादि नहीं ठोकी जायेगी तथा दीवारों फर्श, विद्युत उपकरणों एवं सेनेटरी फिटिंग्स इत्यादि को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें ।

(योगेन्द्र यादव)
विशेष कार्याधिकारी
10/6/13

प्रतिलिपिः

1 निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन/परियोजना/अर्बन सर्विस) ।
4. उप महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन/परियोजना)
5. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक ।
6. श्री बी0पी0 सिंह, प्रबन्धक, (अर्बन सर्विस) एवं श्री मदन पाल वर्मा, सहा0 प्रबन्धक (अर्बन सर्विस) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष कार्याधिकारी
10/6/13

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा–।।,
ग्रेटर नौएडा

पत्रांकः म0प्र0 (अ0स0)/का0आ0 / 2013 /
दिनांक :–01 ,अगस्त, 2013

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक केन्द्रों / रिक्त स्थान के आरक्षण के विषय में जनहित में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है कि :–

1. सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण प्रथम आओं–प्रथम पाओं के आधार पर किया जायेगा। प्रथम आओं–प्रथम पाओं में देखा जायेगा कि प्राधिकरण के सैन्ट्रल डिस्पैंच सैन्टर पर पत्र किस दिनांक एवं किस समय रिसिव हुआ है इसी के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। आरक्षण से पूर्व सम्पूर्ण धनराशी आवेदक द्वारा जमा करायी जानी होगी।
2. यदि त्रुटिवश दो आवटंन एक ही परिसर हेतु एक ही तिथि के लिए हो गये हो तो, इस अवस्था में वह आवटंन को निरस्त किया जाएगा जो कि बाद में आवेदित किया गया है एवं प्रथम आओं–प्रथम पाओं के आधार पर आवटंन किया जायेगा।
3. अर्बन विभाग द्वारा तत्काल सामुदायिक केन्द्र आरक्षण रजिस्टर अथवा कम्यूनिटी बुकिंग रजिस्टर में तिथिवार प्राप्त पत्रो का ब्योरा, जमा धनराशी का ब्योरा एवं सिक्युरिटी धनराशी का ब्योरा दर्ज किया जायेगा। कम्यूनिटी बुकिंग रजिस्टर में सेक्टरवार लेजर पृष्ठ बनाये जायेगें। कम्यूनिटी सेन्टर के आवटंन की तिथि भी इसमें अभिलिखित की जायेगी।
4. अर्बन विभाग, सैन्ट्रल डिस्पैंच सेन्टर से पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उसको सामुदायिक केन्द्र के आरक्षण रजिस्टर में सैन्ट्रल डिस्पैच की तिथि दर्शाते हुऐ अंकित करेगें जिसमें प्रथम आओं–प्रथम पाओं के आधार पर एन्ट्री की जायेगी और इसी के आधार पर सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण पत्र जारी किया जायेगा।
5. अन्य सभी शर्तों का पूर्व में जारी कार्यालय आदेश के पत्रांक संख्याः– अर्बन सर्विस / 2013 / 945, दिनांक 17.06.2013, के अनुसार ही रहेगी।

कृपया यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

(योगेन्द्र यादव)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को ,अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ। 42969,
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ। 42971,
3. महाप्रबन्धक (वित्त / नियोजन / परियोजना / अर्बन सर्विसेज)। 42972, 42973, 42975, 42976,
4. उप महाप्रबन्धक (वित्त / नियोजन / परियोजना) 42977, 42978, 42980,
5. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक ।

विशेष कार्याधिकारी

sm (ii) – 42981,
sm (iii) – 42982,
sm (iv) – 42983,
sm (v) – 42984,
sm (vi) – 42985
sm (ix) – 42988,
sm (x) – 42989,
sm (U.S) – 42990,